

12-04-22

Not away
Aru
12/4/22

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान हाजिर आये थे, वकील वादी। शर्पी द्वारा 'नोट प्रेस' अंकित किया गया है। प्रकरण में अब आगामी कार्यवाही नहीं चाहते हैं। वकील वादी। शर्पी को सुना जाकर पत्रावली पर अब लोकेन, मनन किया गया। चूँकि वादी। शर्पी प्रकरण में अब कार्यवाही नहीं चाहते हैं, अतः पत्रावली नोट-प्रेस में एन.द.द्वारा खारिज की जाती है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दारिखल दफतर हो। निर्णय उल्लेख न्यायालय में सुनाया जाकर मौर दस्तावेज व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

